

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आकाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

827/2024

28.08.2024

12.09.2024

उनवान

1. हीरा देवी पत्नी कैलाश चन्द्र जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा प्रार्थीया

बनाम

1. जमना पत्नी भोजा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बरमा पुत्र भोजा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पुत्र भोजा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. लीला पुत्री भोजा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सोलाल पुत्र भोजा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. प्रेम पत्नी जोधा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. उगमा पुत्र देवी नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. गोपाल पुत्र उगमा नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. नंदू पुत्री मोहन नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. बाली पुत्री मोहन नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. लाली पुत्री भिटू लाल नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. सम्पत पुत्र मोहन नायक निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. कमला देवी पत्नी हीरालाल गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. भूरालाल दत्तक पुत्र मनोहर गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. बरजी पत्नी झूंगा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. लादू पुत्र मेगा गाडरी निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. कृष्णा कंवर पुत्री गोपाल सिंह राजपूत निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. कोमल कंवर पुत्री शिव सिंह राजपूत निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. प्रेम कंवर पत्नी गोपाल सिंह राजपूत निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. शैतान सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत निवासी खायड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार भीलवाड़ा


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी महेश चन्द्र विशनोई, देवीलाल गाडरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खायड़ा तह0 खायड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 221 की अभिलिखित आराजियात 50 कुल किता 01 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा खायडा 4080 खायडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 221 की अभिलिखित आराजियात 50 कुल किता 01 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा